न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 147/2019

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 ठाकराराम पुत्र वीराराम जाति दरजी निवासी मंगनोणियों की ढाणी, भाडखा तहसील व जिला बाडमेर।		1 वीराराम 2 लुम्भाराम पिसरान मोटाराम 3 राणी पत्नी मोटाराम 4 खेताराम 5 बांकाराम पिसरान रावताराम जाति दर्जी निवासी मंगनाणियों की ढाणी भाडखा तहसील व जिला बाडमेर 6 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधराम ग्रामीण बैंक शाखा भाडखा जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 **RTA Act.**

उपस्थिति :– 1. श्री भोमाराम सियाग, वकील वादीगण।
2. श्री मेघाराम चौधरी, वकील प्रतिवादी संख्या 01।

निर्णय

दिनांक 26/09/19

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 गुला पुत्र भाना के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा मंगनाणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 899/804 रकबा 10.17 बीघा, खसरा संख्या 934/879 रकबा 54.15 बीघा भूमि तथा मौजा जुणेजों मेहरों की बस्ती पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 825 रकबा 0.18 बीघा, खसरा संख्या 828 रकबा 07.03 बीघा व खसरा संख्या 865/826 रकबा 54.00 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के दादा गुला पुत्र भाना के नाम दर्ज हुई। उक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 1/12–1/12 हिस्सा खातेदारी का है। वादी, प्रतिवादी संख्या 01 वीराराम के विधिक वारिस है। वादी का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 का वादग्रस्त भूमि में 1/12–1/12 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने के वादीगण अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादी, प्रतिवादी संख्या 01 वीराराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादी का भी 1/12 हिस्सा जन्म से निहित है। वादी को उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित कर 1/12–1/12 हिस्सा घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

E:\SDM Barmer\Lalit Ji Joshi\RTA 88\ORDER 88.docx

Scanned by CamScanner

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादी द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त कथन सही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादी का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादी को प्रतिवादी संख्या 01 वीराराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए 1/12–1/12 हिस्सा घोषित किया जावे। वकील प्रतिवादी संख्या 01 को कोई आपति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी वन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादी का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादी अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादी का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा मंगनाणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 899/804 रकबा 10.17 बीघा, खसरा संख्या 934/879 रकवा 54.15 बीघा भूमि तथा मौजा जुणेजों मेहरों की बस्ती पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 825 रकवा 0.18 बीघा, खसरा संख्या 828 रकबा 07.03 बीघा व खसरा संख्या 865/826 रकबा 54.00 बीघा भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 01 वीराराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 वीराराम प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। प्रतिवादी संख्या 01 वीराराम का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर
सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 26/09/19 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर
सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 ठाकराराम पुत्र वीराराम जाति दरजी निवासी मंगनोणियों की ढाणी, भाडखा तहसील व जिला बाडमेर।		1 वीराराम 2 लुम्भाराम पिसरान मोटाराम 3 राणी पत्नी मोटाराम 4 खेताराम 5 बांकाराम पिसरान रावताराम जाति दर्जी निवासी मंगनाणियों की ढाणी भाडखा तहसील व जिला बाडमेर 6 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधराम ग्रामीण बैंक शाखा भाडखा जिला बाडमेर।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 147/2019
निर्णय दिनांक :– 26/05/19.......

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 की उपरस्थिति में इस वाद में आज तारीख ...26/05/19. को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादी का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा मंगनाणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 899/804 रकबा 10.17 बीघा, खसरा संख्या 934/879 रकबा 54.15 बीघा भूमि तथा मौजा जुणेजों मेहरों की बस्ती पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 825 रकबा 0.18 बीघा, खसरा संख्या 828 रकबा 07.03 बीघा व खसरा संख्या 865/826 रकबा 54.00 बीघा भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 01 वीराराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 वीराराम प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। प्रतिवादी संख्या 01 वीराराम का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 26/05/19... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाडमेर

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्सप प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner